न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर।

जमानत प्रार्थनापत्र सं0 3788 सन् 2019

राजेश शर्मा पुत्र रामकिशोर शर्मा, निवासी मोहल्ला पवित्रपुरी, कस्बा व थाना अनूपशहर जिला बुलन्दशहर। .....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य। .....अभियोजन

मुकदमा अपराध सं0 318 सन् 2019
धारा 307,323,504,506,341,34 भा.द.सं.
थाना अनूपशहर जिला बुलंदशहर।

<u>दिनांक 21.10.2019</u>

आवेदक/अभियुक्त राजेश शर्मा, मुकदमा अपराध सं0 318 सन् 2019, धारा 307,323,504,506,341,34 भा0द0सं0, थाना अनूपशहर जिला बुलन्दशहर में न्यायिक अभिरक्षा में है। उसकी ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुए यह कहा गया कि वादी सन्दीप भारद्वाज ने दिनांक 22.9.2019 को सम्बन्धित थाने को सूचना दिया कि जब वह अपने साथी जितेश तोमर व गौरव शर्मा के साथ यूनिवर्सिटी की तरफ से वापस घर आ रहा था तो रास्ते में हर्ष चौहान ने अपने साथी राजेश शर्मा व सौरभ शर्मा के साथ उन्हें रोका और गाली गलौच करने लगा, विरोध करने पर उक्त तीनों मुल्जिमान मारपीट करने लगे और हर्ष चौहान ने जान से मारने की नीयत से गौरव शर्मा को गोली मार दी, जो उसके दाहिने हाथ में लगी तथा वह वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गया, जिसे मरा समझकर उक्त तीनों मुल्जिमान जान से मार देने की धमकी देते हुए स्कूटी से भाग गये। घटना रात्रि लगभग 10:00 बजे की है।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा यह भी कहा गया कि अभियुक्त एवं अन्य सह–अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन कथानक में उल्लिखित घटना को कारित किया है। अभियुक्त के साथी हर्ष चौहान द्वारा जान से मारने की नीयत से चोटहिल गौरव शर्मा को गोली मारी गयी, जो उसके हाथ में लगी है। मेडिकल रिपोर्ट में आग्नेयास्त्र की चोट दर्शित है। घटना के चक्षमदीद साक्षी है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है तथा उसे झूंठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त को घटना कारित करने का कोई हेतुक नहीं है। अभियुक्त का कथित घटना में कोई विशिष्ठ रोल नहीं दर्शाया गया है। चुटहैल को कोई प्राणघातक चोट नहीं है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इजिहास नहीं है। वह दिनांक 09.10.2019 से जेल में है।

अभियोजन पक्ष के कथानक के अनुसार वादी सन्दीप भारद्वाज ने दिनांक 22.9.2019 को सम्बन्धित थाने को सूचना दिया कि जब वह अपने साथी जितेश तोमर व गौरव शर्मा के साथ यूनिवर्सिटी की तरफ से वापस घर आ रहा था तो रास्ते में हर्ष चौहान ने अपने साथी राजेश शर्मा व सौरभ शर्मा के साथ उन्हें रोका और गाली गलौच

करने लगा, विरोध करने पर उक्त तीनों मुल्जिमान मारपीट करने लगे और हर्ष चौहान ने जान से मारने की नीयत से गौरव शर्मा को गोली मार दी, जो उसके दाहिने हाथ में लगी तथा वह वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गया, जिसे मरा समझकर उक्त तीनों मुल्जिमान जान से मार देने की धमकी देते हुए स्कूटी से भाग गये। घटना रात्रि लगभग 10:00 बजे की है।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा कहा गया कि अभियुक्त एवं अन्य सह–अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन कथानक में उल्लिखित घटना को कारित किया है। अभियुक्त के साथी हर्ष चौहान द्वारा जान से मारने की नीयत से चोटहिल गौरव शर्मा को गोली मारी गयी, जो उसके हाथ में लगी है। मेडिकल रिपोर्ट में आग्नेयास्त्र की चोट दर्शित है। घटना के चक्ष्मदीद साक्षी है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है।

मैंने केस डायरी का परिशीलन किया।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोडे जाने का आधार पर्याप्त नही है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त राजेश शर्मा का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनाँक 21.10.2019

(नीलकंठ सहाय)
सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।